



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022023-243635
CG-DL-E-15022023-243635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2023/माघ 26, 1944

No. 673]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023/MAGHA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

का.आ. 703(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ.- 4847 (अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2020 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग-(II), खण्ड-3, उप खण्ड (ii) 4847 (अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के दिनांकित में निम्नानांकित संशोधन करती है।

अधिसूचना संख्या का.आ.- 4847 (अ) दिनांक 31 दिसंबर,
2020) में

संशोधित

सक्षम प्राधिकारी - जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर

सक्षम प्राधिकारी - भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर
भागलपुर

नोट :-(नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-133E (पुराना राज्य राजमार्ग संख्या-19) बिहार राज्य में भागलपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-33 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर ढाकामोड़ को जोड़ते हुए और बलझोर (हंसडिहा रोड) के निकट बिहार/झारखण्ड के सीमा पर समाप्त होने वाले राजमार्ग के निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन।) के लिये सक्षम प्राधिकारी - जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के जगह पर सक्षम प्राधिकारी - भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर भागलपुर को नामित किया जाता है।

अनुसूची

(नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-133E (पुराना राज्य राजमार्ग संख्या-19) बिहार राज्य में भागलपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 0-33 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर ढाकामोड़ को जोड़ते हुए और बलझोर (हंसडिहा रोड) के निकट बिहार/ झारखण्ड के सीमा पर समाप्त होने वाले राजमार्ग के निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन।)"

Due to change of competent authority of this project

[फा. सं. RW/PAT/NH/133E/KM 0.00-11.735/LA/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 14th February, 2023

S.O. 703(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4847 (E), dated the 31st December, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) dated the S.O. 4847(E), dated the 31st December, 2020 namely:-

In the said notification (S.O. 4847 (E), dated the 31st December, 2020)

Amended

Competent Authority- District Land Acquisition Officer, Bhagalpur

Competent Authority- Deputy Collector Land Reforms , Sadar Bhagalpur

Note:- Deputy Collector Land Reforms ,Sadar Bhagalpur is Nominated the Competent Authority Land Acquisition in place of District Land Acquisition Officer , Bhagalpur for land Acquisition.

SCHEDULE

Land acquisition on Newly Declared National Highway No. 133E (Old State Highway No. 19) the highway Starting from its junction NH-33 near Bhagalpur connecting Dhaka Mor and terminating at Bihar/Jharkhand border near Baljhor (Hansdiha road) in the State of Bihar.

Due to change of competent authority of this project.

[F. No. RW/PAT/NH/133E/KM 0.00-11.735/LA/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director